

कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर
शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर (म.प्र.)

फोन नं. 07582-23027

फैक्स नं. 07582-23045/7

कमांक / / पैरामे. / बी.एम.सी. / 19

सागर, दिनांक / 11 / 2019

(दिनांक 28, 29 एवं 30 नवम्बर 2019)

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में आवंटन हेतु दिनांक 28, 29 एवं 30 नवम्बर 2019 तक निम्नानुसार काउंसिलिंग का आयोजन किया गया है ।

ऐसे समस्त उम्मीदवार जिनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन जमा करवाये गये हैं वे पात्रतानुसार काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं ।

दिनांक 28 / 11 / 2019 (गुरुवार)	रजिस्ट्रेशन / स्कूटनी समय सुबह 9.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक आवंटन दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक	सेवारत उम्मीदवार एवं ST, SC, OBC श्रेणी के समस्त पात्र उम्मीदवार
दिनांक 29 / 11 / 2019 (शुक्रवार)	रजिस्ट्रेशन / स्कूटनी समय सुबह 9.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक आवंटन दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक	UR के समस्त पात्र उम्मीदवार
दिनांक 30 / 11 / 2019 (शनिवार)	रजिस्ट्रेशन / स्कूटनी समय सुबह 9.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक आवंटन दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक	द्वितीय काउंसिलिंग चक्र एवं मॉप अप चक्र समस्त श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार एवं मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के पात्र उम्मीदवार



अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

निरंतर

स्थान- काउंसिलिंग कक्षा-प्रथम तल

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर ४०५०

समय- शरत उम्मीदवार प्रातः ९.३० बजे निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है ।

नोट-

1. काउंसिलिंग दिनांक निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति तथा ०२ रोट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा १० पासपोर्ट साइज फोटो (जो आवेदन पत्र में चरमा की गई हो) लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति न होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी:-

- I. 10 वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु) तथा प्रमाण पत्र
- II. 12 वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ) तथा प्रमाण पत्र
- III. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
- IV. प्रवर्जन प्रमाण पत्र
- V. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
- VI. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष २०१९-२० का)
- VII. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को राक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- VIII. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को राक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
- IX. १० पासपोर्ट साइज फोटो।
- X. विभागीय कर्मचारियों को राक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

2. दिनांक २८ एवं २९ नवम्बर २०१९ तक **Allotted candidate** को उक्त दिनांक में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् **Allotted candidate** का आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

3. दिनांक ३० नवम्बर २०१९ तक **Allotted candidate** को उक्त दिनांक तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् **Allotted candidate** का आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

4. चयनित अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र लेना होगा किसी भी अभ्यर्थी के स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र में बाधा होने आने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।

॥
अधिष्ठाता

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय

सागर (४०५०)

सागर, दिनांक १९/११/२०१९

क्रमांक/८३३९/पैरा.भे./बी.एम.सी./१९

प्रतिलिपि -

1. विभागाध्यक्ष/स्थापना शाखा राज.एवं अराज./संबंधित बी०एम०सी० सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
2. डॉ. रूपेश साहू, प्रभारी अधिकारी, आई.टी. चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. नोटिस बोर्ड, अधिष्ठाता कार्यालय, बी०एम०सी० सागर ४०५० ।

अधिष्ठाता

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय

सागर (४०५०)